

सं० सं० 14/एम 11-1/16  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डा. शशि रानी  
प्रभारी निदेशक प्रमुख (प्रशासन)  
सेवा में,  
निदेशक/अधीक्षक  
इन्दिरा गांधी आर्युविज्ञान संस्थान,  
शेखपुरा, पटना-14 ।

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।  
महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 22.6.16 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	संजु देवी पति-प्रभु कुमार ग्राम-मुसहरी पो०-चिस्तीपुर थाना-चंडी जिला-नालंदा सीआरनं०-51111/16	कैंसर रोग	₹ 50,000/- (पचास हजार) स्वीकृत।
2	अजमा खातुन पति-दिलदार हुसैन ग्राम-बरवा पो०-नरकटियागंज थाना-शिकारपुर जिला-प० चम्पारण सीआरनं०-12670/16	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
3	फेंकनी देवी पति-अमिरी पासवान ग्राम-दाग्ही पो०-मलाही थाना-वेला जिला-सीतामढ़ी सीआरनं०-73296/16	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
4	शशि शेखर मंडल पिता-श्याम लाल मंडल ग्राम-गंगवारा बुजुर्ग पो०-बलीगढ़ थाना-रुन्नी सैदपुर जिला-सीतामढ़ी सी.आरनं०--151491/15	किडनी रोग	₹ 50,000/- (पचास हजार) स्वीकृत।

10

5	विचित्रा देवी पति-अरविन्द कुमार ग्राम-कटरा चौक गोला रोड पो0+थाना+जिला-शेखपुरा सीआरनं0-71086/16	कैंसर रोग	₹ 80,000/- (अस्सी हजार) स्वीकृत।
6	सूर्य कुमारी पति-स्व. अरविन्द नाथ पाण्डेय ग्राम-मनेर टोलापर पो0-थाना-मनेर जिला-पटना सीआरनं0-59398/16	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
7	जय राम सिंह पिता-स्व. रामनाथ सिंह ग्राम-भटाढी पो0-सासाराम थाना-दरिगांव जिला-रोहतास सीआरनं0-74038/16	हृदय रोग	₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
8	हीरामनी देवी पति-राम एकबाल पंडित ग्राम-हसनपुर पो0-थाना-कुंडवा चैनपुर जिला-पूर्वी चम्पारण सीआरनं0-18062/16	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
9	सीता देवी पति-दिपेन्द्र कुमार मिश्रा ग्राम-पो0-पीपरा थाना-गोविन्दगंज जिला-पूर्वी चम्पारण सीआरनं0-105438/15	हृदय रोग	₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
10	राम किशोर चन्द्र पिता-स्व. सोमर महतो ग्राम-नदसेना पो0-सराय, थाना-सीतामढी जिला-नवादा सीआरनं0-122708/14	हृदय रोग	₹ 50,000/- (पचास हजार) स्वीकृत।
11	अक्षय लाल राम पिता-स्व. महावीर राम ग्राम+पो0-मजीरवा थाना-लखौरा जिला-पूर्वी चम्पारण सी.आरनं0-56373/16	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
12	सरिता देवी पति-नन्दलाल राम दास ग्राम-खरौधा पो0-राजपुर, थाना-बेलहर जिला-बांका सीआरनं0-78087/16	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।

13	किरण देवी पति-विनोद प्रसाद ग्राम-बीच बाजार रजौली पो0+थाना-रजौली जिला-नवादा सीआरनं0-145698 / 15	किडनी रोग	विशेष परिस्थिति में ₹ 10,000 / -(दस हजार) स्वीकृत।
14	सुगीया देवी पति-कमलेश महतो ग्राम-पो0-मुसापुर थाना-घटहो ओ0पी0 जिला-समस्तीपुर सीआरनं0-63898 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 / -(साठ हजार) स्वीकृत।
15	दुखनी देवी पति-राम सागर महतो ग्राम-रामपुर घाट, पो0-सकरौली थाना-चेरिया बरियारपुर जिला बेगुसराय सीआरनं0-77621 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 / -(साठ हजार) स्वीकृत।
16	चौरसीया देवी पति-टुन्नु प्रसाद ग्राम-बालापर पो0-सांडा थाना-धनरुआ जिला-पटना सीआरनं0-83695 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 / -(साठ हजार) स्वीकृत।
17	मो0 साहफूल पिता-इस्लाम साह ग्राम-खुट्टी हसैली पो0-जगैली थाना-के0 नगर जिला-पूर्णिया सीआरनं0-83192 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 / -(साठ हजार) स्वीकृत।
18	जमील खान पिता-मो0 मुस्तफा ग्राम-पो0-गौदाढ थाना-शाहपुर जिला-भोजपुर सीआरनं0-59443 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 / -(साठ हजार) स्वीकृत।
19	इन्द्रावती देवी पति-रामजी ओझा ग्राम+पो0-खरहा टाड थाना-सीमरी जिला-बक्सर सीआरनं0-52791 / 16	लीवर रोग	₹ 40,000 / -(चालीस हजार) स्वीकृत।

20	महेश साह पिता-स्व. मगन चन्द्र साह ग्राम-बाजीदपुर चक उसमान पो0-वासुदेवपुर चंदेल थाना-महनार जिला-वैशाली सीआरनं0-84425 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 /-(साठ हजार) स्वीकृत।
21	दिलिप सहनी पिता-उतम सहनी ग्राम+पो0-वहीलवाड़ा गोविन्द थाना-सरैया जिला-मुजफ्फरपुर सीआरनं0-45619 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 /-(साठ हजार) स्वीकृत।
22	लक्ष्मी यादव पिता-स्व0 रामजी यादव ग्राम+पो0-भैरो पट्टी थाना-त्रिवेणीगंज जिला-सुपौल सीआरनं0-56171 / 16	कैंसर रोग	₹ 80,000 /-(अस्सी हजार) स्वीकृत।
23	रामाशीष सिंह पिता-बाबु लाल सिंह ग्राम-रजौन असली पो0-पाली थाना-जाले जिला-दरभंगा सीआरनं0-78359 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 /-(साठ हजार) स्वीकृत।
24	राम किशुन प्रसाद पिता-स्व. नथुनी साव ग्राम-चितकोहरा पंजाबी कोलनी पो0-अनीसाबाद थाना-गर्दनीबाग जिला-पटना सीआरनं0-81169 / 16	हृदय रोग	₹ 1,25,000 /-(एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
25	नन्द किशोर शर्मा पिता-स्व. महादेव शर्मा ग्राम-पो0-हरिओ थाना-विहपुर जिला-भागलपुर सीआरनं0-69981 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 /-(साठ हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 16,35,000 /-

2. उक्त अनुदान की कुल राशि 16,35,000 /-(सोलह लाख पैंतीस हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 387819 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 503 2011 9556 खाता धारक का नाम-"निदेशक, इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान सं० श्रेष्ठपुरा पटना 800014 " खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- इलाहाबाद बैंक, शाखा का नाम - पटना, RTGS/IFSC कोड सं० ALLA0212284 में अंतरित किया जाता है।

3. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि की उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, तथा अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।
4. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
5. आपके संस्थान को स्वीकृत राशि ससमय उपलब्ध हो जाती है। संस्थान द्वारा मरीजों से स्वीकृत्यादेश की प्रति मांगी जाती है, जो कि अनावश्यक एवं चिन्ता जनक है। रोगी का नाम एवं पंजीकरण सं० मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ की जा सकती है। स्वीकृत्यादेश की प्रति अपने नोटिस बोर्ड/वार्ड में दर्शाया जाय। यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि हो या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय।  
मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख आपके द्वारा दिये जानेवाले उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है, परंतु आपके द्वारा ऐसा नहीं किया जा रहा है। इससे वित्तीय अनियमितता की संभावना उत्पन्न हो सकती है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय, बार-बार प्राक्कलन निर्गत नहीं किया जाय। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी आपकी होगी।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डा. शशि रानी)

प्रभारी निदेशक प्रमुख(प्रशासन)

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 387899 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह०/-

प्रभारी निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

968(14)

पटना, दिनांक 06-07-16

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग/सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रभारी निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

21.7.16

सं० सं० 14/एम 11-1/16  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डा. शशि रानी  
प्रभारी निदेशक प्रमुख (प्रशासन)  
सेवा में,  
निदेशक  
जीवक हार्ट अस्पताल एवं शोध संस्थान प्रा० लि०  
कंकड़बाग, पटना-20

पटना, दिनांक.....

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 22.6.16 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	मंजु देवी पति-अरविन्द पासवान ग्राम-गोसपुर पो०+थाना-गुरुआ जिला गया	हृदय रोग	₹ 45,000/- (पैंतालीस हजार) स्वीकृत।
2	सुरेन्द्र राय पिता-महावीर राय ग्राम-पो०-सदौवा थाना-सिरवलीया जिला-गोपालगंज	हृदय रोग	₹ 45,000/- (पैंतालीस हजार) स्वीकृत।
3	निधि कुमारी पति-मिथलेश कुमार ग्राम-सहसौल पो०-दीबरा बाजार थाना-बी० कोठी जिला-पूर्णिया	हृदय रोग	₹ 1,60,000/- (एक लाख साठ हजार) स्वीकृत।
4	शंकर सहनी पिता-स्व. जनक सहनी ग्राम-भवानीपुर पो०-दीघरी थाना-सूर्यगढ़ा जिला-लखीसराय	हृदय रोग	₹ 1,40,000/- (एक लाख चालीस हजार) स्वीकृत।
5	शालु कुमारी पिता-कन्हैया कुमार ग्राम-पो०+थाना-करंडे जिला-शेखपुरा	हृदय रोग	₹ 70,000/- (सतर हजार) स्वीकृत।

*Handwritten signature*

6	राजेन्द्र साह पिता-झगरू साह ग्राम-भुसाव पो-भगवानपुर थाना-थावे जिला-गोपालगंज	हृदय रोग	₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
7	उमा देवी पति-प्रदीप राय ग्राम-पो-विरपुर थाना-जुरावनपुर जिला-वैशाली	हृदय रोग	₹ 1,40,000/- (एक लाख चालीस हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 7,25,000/-

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 7,25,000/- ( सात लाख पच्चीस हजार ) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" चालु खाता सं० 30121380424, एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 387969 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 165902000000041 खाता धारक का नाम-"निदेशक, जीवक हार्ट अस्पताल एवं शोध संस्थान प्रा० लि० कंकड़बाग, पटना" खाते का प्रकार- चालु, बैंक का नाम-इन्डियन ओवरसीज बैंक, शाखा का नाम-कंकड़बाग, पटना(1659) RTGS/IFSC कोड सं० IOBA 0001659 में अंतरित किया जाता है।
3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

( डा. शशि रानी )

प्रभारी निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

पटना, दिनांक

ज्ञापांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 387969 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंड़िका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह०/-

प्रभारी निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

पटना, दिनांक 06.07-16

ज्ञापांक

970(14)

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / सभी संबंधित मरीजों का/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/5/16  
प्रभारी निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सं० सं० 14/एम 11-1/16  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डा. शशि रानी  
प्रभारी निदेशक प्रमुख (प्रशासन)  
सेवा में,  
निदेशक,  
हार्ट हॉस्पिटल लिमिटेड (चन्द्रालय)  
कंकड़बाग, पटना-20

पटना, दिनांक.....

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 22.6.16 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्र० सं०	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	विश्वनाथ राय पिता-स्व. राज जन्म राय ग्राम-पे०-मनीकपुरा थाना-बनियापुर जिला-सारण	हृदय रोग	₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
2	मोहन सिंह पिता-राम अयोध्या सिंह ग्राम-मानपुर पो०-धोबहा बाजार थाना-मुफसिल जिला-भोजपुर	हृदय रोग	₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 2,50,000/-

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 2,50,000/- (दो लाख पचास हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" चालु खाता सं० 30121380424, एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं० 387968 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 30002849889 खाता धारक का नाम-"HEART HOSPITAL LTD. कंकड़बाग पटना 20" खाते का प्रकार- चालु, बैंक का नाम-एस० बी० आई०, शाखा का नाम.....RTGS/IFSC कोड सं० SBIN 0004445 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायगा।





4. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डा. शशि रानी )

प्रभारी निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं0...387268 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त की कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह0/-

प्रभारी निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

पटना, दिनांक 06.07.16

ज्ञापांक 969(14)

प्रतिलिपि- लेखोपाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / सभी संबंधित मरीजों को / आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रभारी निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

21.11.16